संख्या–1161/60–2–2013–2/1(23)/13

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक ०१ अक्टूबर, 2013

विषय– बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिये जाने व विभाग के वाहनों के अन्यत्र उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्री /सहायिकाओं को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत विभागीय कार्यों के अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न अन्य विभागों के कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे उनके मूल विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। इस सम्बन्ध में मुम्बई हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका संख्या–60/2012 महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ बनाम सी.डी.पी.ओ., आई. सी.डी.एस. अन्धेरी व अन्य में मा० उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा दिनांक 26.04.2012 को पारित आदेश के आपरेटिव अंश निम्नवत है:–

"Anganwadi Workers could not have been instructed to prepare Health Insurance Cards because it is not a part of their duties. It is submitted that the Health Insurance is not a part of ICDS Scheme and if the AWWs have to go to ration shops to prepare health Insurance Cards, they will not be able to look after the children for whom Anganwadis have been set up".

"..... the additional duties which may be assigned to AWWs should not be of such an extent that the AWWs are not in a position to attend to their primary duties of looking after the children at AWCs".

4. अतएव अनुरोध है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा किये गये उक्त आब्जर्वेशन के आलोक में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिया जाय तथा विभागीय वाहनों को अन्य विभागों के कार्यों में प्रयोग न किया जाये।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव

C:\Documents and Settings\...\Desktop\...\Vivar Seva Evam & Pustr_Tw...\GO_2013 (1).doc